70

D

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 16–2–16 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 538–एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–10–15 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर प्रकरण कमांक 117/अ–21/2013–14.

———————

श्रीमती पच्चीबाई पति श्री बबलू आदिवासी
निवासी ग्राम कांकरखेड़ा तहसील पाटन
जिला जबलपुर ----- आवेदक

<u>विरूद्ध</u>

1– श्री प्रशांत जैन पिता राजकुमार जैन
निवासी 196, समदड़िया ग्रीन सिटी
तहसील व जिला जबलपुर

2– म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ----- अनावेदकगण

———————

पच्चीबाई विरूद्ध श्री प्रशांत जैन आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 538-एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 117/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 19-10-15 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का परिशीलन किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा ग्राम खैरी प.ह.नं. 71 रा.नि.मं. महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 98/2 रकबा 0.540 हैक्टर के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, पनागर को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई है । कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के नाम	

R. 538. I/16 (जबलपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

की प्रविष्टि तहसीलदार, पनागर के आदेश दिनांक 04-3-2013 से की गई है और उसके 10 माह बाद आवेदक द्वारा भूमि विक्रय का अनुबंध किया गया है, इस कारण अंतरण संदेहास्पद है और आवेदक के हितों के विरूद्ध है । कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भूमि क्रय किये जाने अथवा अभिलेख में नाम दर्ज होने के एक माह बाद उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि था आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत नहीं पड़ेगा । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया हैं, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 19-10-15 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम खैरी प.ह.नं. 71 रा.नि.मं. महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 98/2 रकबा 0.540 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक - 1 श्री प्रशांत जैन पिता राजकुमार जैन को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :-

1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 538-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । (एम0के0 सिंह) सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	